



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

आधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 24, 1976/श्रावण 2, 1898

No. 30]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 24, 1976/SRAVANA 2, 1898

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मंत्रिमंडल सचिवालय

(शासनिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली, 30 जून, 1976

सं० का० नि० 1057—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, विशेष पुलिस स्थापना (कार्यपालक-स्टाफ) भर्ती नियम, 1963 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का नाम विशेष पुलिस स्थापना (कार्यपालक-स्टाफ) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- विशेष पुलिस स्थापना (कार्यपालक-स्टाफ) भर्ती नियम, 1963 की अनुसूची में पुलिस उप-अधीक्षक के पद से सम्बन्धित प्रविष्टियों में, कालम 9 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
“3 वर्ष (तीसरे भर्ती हुए पुलिस-उप-अधीक्षकों के लिए इस अवधि में उनकी प्रशिक्षण-काल भी शामिल है)”

[संख्या 213/10/75-ए० बी० डी०-2]

बी० सी० वंजानी, अवर सचिव

(1971)

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personal and Administrative Reforms)

New Delhi, the 30th June, 1976

G.S.R. 1057.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Special Police Establishment (Executive Staff) Recruitment Rules, 1963, namely :—

1. (1) These rules may be called the Special Police Establishment (Executive Staff) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Special Police Establishment (Executive Staff) Recruitment Rules, 1963 in the entries relating to post of Deputy Superintendent of Police, for the entry under Column 9, the following entry shall be substituted namely :—

“3 years (this includes the period of training for directly recruited Deputy Superintendents of Police).”

[No. 213/10/75-AVD. II]

B. C. VANJANI, Under Secy.

Attested

श्री २१/१०/७५
उप-सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग,
विधि कार्यालय, दिल्ली-५४

(iv) for the entry in column 13, the following entry shall be substituted :—

"Group D Departmental Promotion Committee consisting as under :—

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Under Secretary (Adm.)
Department of Steel. | —Chairman. |
| 2. Under Secretary, Department of
Industrial Development | —Member. |
| 3. Section Officer, Department of
Steel. | —Member |
| 4. Section Officer (Adm.)
Department of Steel | —Member Secretary |

[No. 4(1)/75-Adm. I]

M. B. LAL, Under Secy.

11. Chromite mines
12. Graphite mines
13. Fluorite mines

[No. 4/4/70-PF. II]

भ्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 1102.—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी, भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपबद्ध अनुसूची में के उन स्थापनों को जिनमें बीस या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, ऐसे स्थापनों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिन्हें उक्त अधिनियम 30 जून, 1976 से लागू होगा।

अनुसूची :

1. अपाराइट खानें,
2. एस्बेस्टास खानें,
3. कैल्साइट खानें,
4. बाल मृत्तिका (क्ले) खानें,
5. क्रुबिन्ड (कोरुन्डम) खानें,
6. मरकत (इमराल्ड) खानें,
7. फेल्डस्पार खानें,
8. सिलिकिया सैण्ड खानें,
9. स्फटिक (क्वार्ट्ज) खानें,
10. गैरिक (ग्रोचेर) खानें,
11. क्रोमाइट खानें,
12. ग्रेफाइट खानें,
13. पलोराइट खानें

[सं० 4/4/70-पी०एफ०-2]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 6th July, 1976

G.S.R. 1102.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby specifies establishments mentioned in the Schedule hereto annexed and employing twenty or more persons as classes of establishments to which the said Act shall apply with effect from the 31st July, 1976.

SCHEDULE

1. Apatite mines
2. Asbestos mines
3. Calcite mines
4. Ball clay mines
5. Corundum mines
6. Emerald mines
7. Feldspar mines
8. Cilica (sand) mines
9. Quartz mines
10. Ochre mines

सा० का० नि० 1103.—कर्मचारी भविष्य निधि और कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

1. इस स्कीम का नाम कर्मचारी भविष्य निधि (तृतीय संशोधन) स्कीम, 1976 है।

2. यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

3. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में,—

(1) पैरा 68 ख में,—

(1) उपपैरा (1) में, तृतीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि, जहाँ उधार, वास गृह या वास स्थल के प्रयोजन के लिए है, वहाँ उधार का संवाय सीधे यथास्थिति, राज्य सरकार या सहकारी सोसाइटी, संस्था, न्यास, स्थानीय निकाय या आवास वित्त निगम को किया जाएगा, सदस्य को नहीं";

(2) उपपैरा (2) में, "सात" शब्द के स्थान पर, "पांच" शब्द रखा जाएगा;

(3) उपपैरा (5) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(5) सदस्य को छः मास की आधारीक मजदूरी मंहगाई भत्ते तक अतिरिक्त उधार, उसके स्वामित्वा-धोन वास गृह में आवश्यक परिवर्द्धनों, सारभूत परिवर्द्धनों या सुधार के लिए एक बार और एक ही किल्ल में मंजूर किया जा सकता है, परन्तु उधार वास गृह के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् ही अनुज्ञेय होगा";

(4) (क) उप-पैरा 6 को उसके खण्ड (1) के रूप में पुनः सांख्यिकित किया जाएगा;

(ख) इस प्रकार पुनःसांख्यिकित खण्ड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) सदस्य निरीक्षण के लिए एक विलेख प्रस्तुत करेगा, जो उधार मंजूर किए जाने के पश्चात् सदस्य को वापस कर दिया जाएगा";

(5) उप-पैरा 6 क का लोप किया जाएगा :—

(2) पैरा 68 ग में,—

(क) उप-पैरा में, (i) "पांच सौ" शब्दों के स्थान पर, "एक हजार" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "बारह" शब्द के स्थान पर, "बीस" शब्द रखे जाएंगे;

Attested

अधीन उपायुक्त,
अधीन उपायुक्त, प्रकाशन विभाग,
विशेष कार्यालय, दिल्ली-10

21/11/12

(ख) उप-पैरा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(6) सदस्य की छह मास की प्राथमिक मजदूरी और मंहगाई भत्तों तक अतिरिक्त उधार, उसके स्वामित्वाधीन वास गृह में आवश्यक परिवर्तनों, सारभूत परिवर्तनों या सुधार के लिए ही एक बार और एक ही किस्त में मंजूर किया जा सकता है; परन्तु उधार वास गृह के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् ही अनुज्ञेय होगा”;

(3) पैरा 68 छ में,—

(क) उप-पैरा (1) में,—

(i) “सात” शब्द के स्थान पर, “पांच” शब्द रखा जाएगा;

(ii) “पांच सौ” शब्दों के स्थान पर “एक हजार” शब्द रखे जाएंगे;

(iii) “बारह” शब्द के स्थान पर “चौबीस” शब्द रखा जाएगा;

(ख) उप-पैरा (6) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“सदस्य की छह मास की प्राथमिक मजदूरी और मंहगाई भत्तों तक अतिरिक्त उधार, उसके स्वामित्वाधीन वास गृह में आवश्यक परिवर्तनों, सारभूत परिवर्तनों या सुधार के लिए एक बार और एक ही किस्त में मंजूर किया जा सकता है; परन्तु उधार वास गृह के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् ही अनुज्ञेय होगा”;

(4) पैरा 68 झ का खोप किया जाएगा;

(5) पैरा 68 ट में,—

उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) इस पैरा के अधीन किसी सदस्य को कोई भी उधार तब तक मंजूर नहीं किया जाएगा, जब तक—

(क) उसने निधि की सात वर्ष की सदस्यता पूरी न कर ली हो, और

(ख) निधि में उसके खाते में उसके कुल अधि-दायों की रकम, उस पर ब्याज सहित, एक हजार या अधिक न हो।

(6) पैरा 68 ठ में,—

(क) उप-पैरा (1) में—

(i) “जो अधिक” शब्दों के स्थान पर “का” शब्द रखा जाएगा।

(ii) परन्तुक का खोप किया जाएगा;

(ख) उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(2) उप-पैरा (1) के अधीन तब तक किसी उधार का संदाय नहीं किया जाएगा, जब तक—

(i) राज्य सरकार ने यह घोषणा न कर दी हो कि उस क्षेत्र में साधारण जनता विपत्ति से प्रभावित हुई है; और

(ii) सदस्य समुचित प्राधिकारी का इस प्राव्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न कर दे कि उसकी सम्पत्ति (स्थावर या जंगम) को विपत्ति के परिणामस्वरूप नुकसान हुआ है।”;

[सं० एस० 70012(5)/74-पी एक II]

एस० एस० सहस्रनामन, उप-सचिव

✓ G.S.R. 1103.—In exercise of the powers conferred by section 5, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Family Pension Fund Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:—

1. This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Third Amendment) Scheme, 1976.

2. It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

3. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952:—

(I) In paragraph 68 B,—

(i) In sub-paragraph (1), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided also that where the advance is for the purchase of a dwelling house or a dwelling site, the payment of advance shall be made direct to the State Government or a co-operative society, institution, trust, local body or Housing Finance Corporation, as the case may be, and not to the member”;

(ii) In sub-paragraph (2), for the word “seven” the word “five” shall be substituted;

(iii) For sub-paragraph (5), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

“(5) An additional advance upto his six months' basic wages and dearness allowance may be granted once and in one instalment only for additions, substantial alterations or improvement necessary to the dwelling house owned by the member provided that the advance shall be admissible only after a period of five years from the date of completion of the dwelling house”;

(iv) (a) Sub-paragraph 6 shall be renumbered as clause (1) thereof;

(b) after clause (1) as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely:—

“(2) the member shall produce the title deed for inspection which will be returned to the member after the grant of advance”;

(v) Sub-paragraph 6A, shall be omitted;

(2) In paragraph 68C,—

(a) In Sub-paragraph 1:—

(i) for the words “five hundred” the words “one thousand” shall be substituted;

Attested 

अध्यक्ष, प्रधान विभाग
विशेष कार्य-विभागी-5

21/11/76

(ii) for the word "twelve", the words "twenty four" shall be substituted;

(b) for sub-paragraph (6), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(6) An additional advance upto six months' wages and dearness allowance may be granted once and in one instalment only for additions, substantial alterations or improvement necessary to the dwelling house owned by the member provided that the advance shall be admissible only after a period of five years from the date of completion of the dwelling house";

(3) In paragraph 68 G,—

(a) In sub-paragraph (1),—

(i) for the word "seven", the word "five" shall be substituted;

(ii) for the words "five hundred" the words "one thousand" shall be substituted;

(iii) for the word "twelve" the words "twenty four" shall be substituted;

(b) for the sub-paragraph (6) the following shall be substituted, namely:—

"An additional advance upto six months' wages and dearness allowance may be granted once and in one instalment only for additions, substantial alterations or improvement necessary to the dwelling house owned by the member provided that the advance shall be admissible only after a period of five years from the date of completion of the dwelling house";

(4) Paragraph 68 I, shall be omitted;

(5) In paragraph 68 K

for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(2) No advance under this paragraph shall be sanctioned to a member unless—

(a) he has completed seven years' membership of the Fund; and

(b) the amount of his total contributions with interest thereon standing to his credit in the Fund is rupees one thousand or more".

(6) In paragraph 68 L—

(a) In sub-paragraph (1),—

(i) for the words "not exceeding" the word 'of' shall be substituted;

(ii) the proviso shall be omitted;

(b) for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 1105.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व्यावसायिक पुनर्वासि केन्द्र (वर्ग III और वर्ग IV पद) भर्ती नियम, 1970 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम व्यावसायिक पुनर्वासि केन्द्र (वर्ग III और वर्ग IV पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. व्यावसायिक पुनर्वासि केन्द्र (वर्ग III और वर्ग IV पद) भर्ती नियम, 1970 में—

(क) नियम 4 में परन्तुक का लोप किया जाएगा;

"(2) No advance under sub-paragraph (1) shall be paid unless—

(i) the State Government has declared that the calamity has affected the general public in the area; and

(ii) the member produces a certificate from an appropriate authority to the effect that his property (movable or immovable) has been damaged as a result of the calamity.";

[No. S-70012(5)/74-PF. II]

S. S. SAHASRANAMAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 1104.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रम मंत्रालय, प्रशासक कल्याण (अधिवेशन) भर्ती नियम, 1975 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम श्रम मंत्रालय, प्रशासक, कल्याण (अधिवेशन) भर्ती (संशोधन) नियम, 1976 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. श्रम मंत्रालय, प्रशासक, कल्याण (अधिवेशन) भर्ती नियम, 1975 की अनुसूची में, स्तंभ 11 में, 'प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण' शीर्षक के अधीन अन्त में निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी"।

[सं० ए० 12011/1/76-एम 5]

सी० आर० निम, अवर सचिव

New Delhi, the 8th July, 1976

G.S.R. 1104.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Labour, Welfare Administrator (Meetings) Recruitment Rules, 1975, namely:—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Labour Welfare Administrator (Meetings) Recruitment (Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Labour, Welfare Administrator (Meetings) Recruitment Rules, 1975, in column 11, under the heading "Transfer on Deputation", the following words shall be inserted at the end namely:—

"Period of deputation shall ordinarily not exceed three years".

[No. A-12011/1/76-M. V]

C. R. NIM, Under Secy.

Attested 

अवर सचिव, प्रकाशक विभाग,
विशेष कार्यालय, दिल्ली-56

21/7/76